

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 11/2026-27

परिवाद योजित तिथि -20.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-23.07.2026

श्री सतीश सिंह ग्राम प्रधान पैणी ग्राम-पैणी पो०-पोखरी.....परिवादी।

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत लाइन के सन्दर्भ में है। श्री सतीश सिंह ग्राम प्रधान पैणी ग्राम-पैणी पो०-पोखरी ने दिनांक 20.04.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी के ग्राम सभा पैणी में अभी तक बन्द केबल का कार्य नहीं हुआ है, एवं ग्राम सभा पैणी को 6400 किलोवॉट के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।



सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

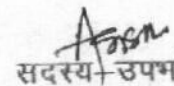
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

Page | 2

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेरा गौचर)

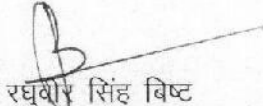
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की ट्रांसफार्मर सम्बंधित शिकायत का समाधान कर दिया गया है, एवं बन्द केबिल का समाधान RDSS योजना के तहत कर दिया जाएगा। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। जिससे उपभोक्ता संतुष्ट है।

आदेश

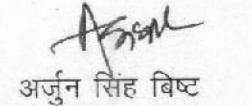
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(सदस्य-विपक्षी)

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 20/2026-27

परिवाद योजित तिथि -27.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-23.07.2026

श्रीमती कलावती देवी, ग्राम-पुनगौव, पो०-किरसाल,परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसँण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा -तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

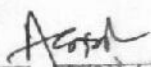
1. परिवादी श्रीमती कलावती देवी, ग्राम-पुनगौव, पो०-किरसाल, वि०वि०खण्ड गैरसँण द्वारा दिनांक 27.04.2026 को विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थिनी एक गरीब बी०पी०एल० धारक महिला है, एवं प्रार्थिनी एक नया विद्युत संयोजन बी०पी०एल० में चाहती है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-उपभोक्ता Page | 2

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

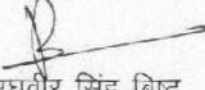
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

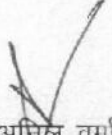
2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया परिवादी सम्बधित दस्तावेज तत्काल विभाग में जमा करें। मंच द्वारा अगली सुनवाई हेतु दिनांक 23.07.2026 को उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा बी०पी०एल० श्रेणी में संयोजन हेतु सम्बधित दस्तावेज उपखण्ड कार्यालय कर्णप्रयाग में जमा करने के उपरान्त परिवादी को नया संयोजन दे दिया जायेगा।

आदेश

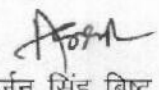
मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह विपक्षी विभाग में बी०पी०एल० श्रेणी में विद्युत संयोजन के लिए सम्बधित आवश्यक दस्तावेज जमा करें, तथा विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर में सम्बधित दस्तावेज जमा करने के उपरान्त विद्युत संयोजन स्थापित करें। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अरुण वर्मा
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 23/2026-27

परिवाद योजित तिथि -27.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-23.07.2026

श्री कैलाश नौटियाल, ग्राम व पो०-नौटी,परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसँण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री कैलाश नौटियाल, ग्राम व पो०-नौटी, वि०वि०खण्ड गैरसँण द्वारा दिनांक 27.04.2026 को विद्युत मशीनें, लाइन एवं बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि -

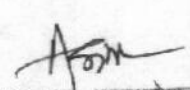
- विद्युत सब स्टेशन नौटी में मशीनें खराब हैं।
- ठेकेदार द्वारा नई लाइन का कार्य किया जा रहा है जिसमें मजबूती नहीं है।


सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

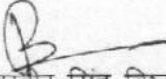
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

- विभाग द्वारा विद्युत संयोजन काटने पर उपभोक्ता को सिक्योरिटी की धनराशि वापिस नहीं की गई है।
- 2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा परिवादी को साक्ष्य हेतु दिनांक 23.07.2026 को उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया।
- 3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की 11 के०वी० पैनलों से सम्बंधित शिकायत एवं RDSS योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले पोलों की अनियमितताओं को सही कर दिया गया है, तथा जमा प्रतिभूति धनराशि वापस करने हेतु परिवादी के संयोजन संख्या का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है।

आदेश

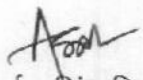
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 25 / 2026-27

परिवाद योजित तिथि -12.05.2026
अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026
निर्णय उद्घोषित तिथि- 23.07.2026

श्री पूरन सिंह नेगी, वार्ड न०-04 ग्राम-पनाई पो०-गौचरपरिवादी।

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

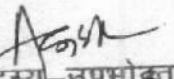
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती श्री पूरन सिंह नेगी, वार्ड न०-04 ग्राम-पनाई पो०-गौचर, ने दिनांक 12.05.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत मीटर खराब है, एवं विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

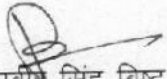
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 एवं दिनांक 18.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी का खराब विद्युत मीटर बदल दिया गया है, एवं परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

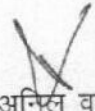
आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

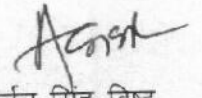

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अन्सु वर्मा
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 27/2026-27

परिवाद योजित तिथि -23.05.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 23.07.2026

श्रीमती भू-देवी, वार्ड न०-04 मुख्य बाजार मेला गेट गौचर.....परिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती भू-देवी, वार्ड न०-04 मुख्य बाजार मेला गेट गौचर, ने दिनांक 23.05.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थिनी का विद्युत भार 3 किलोवाट दर्शाया गया है, जिस कारण विद्युत बिल उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक आ रहा है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

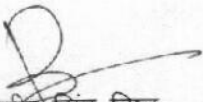
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 एवं दिनांक 05.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी के विद्युत मीटर पर अधिकतम मांग 3 किलोवॉट दर्ज पायी गई है जिसे 1 किलोवॉट करना सम्भव नहीं है। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर विपक्षी विभाग के कथन को सही पाया गया।

आदेश

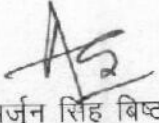
मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 38 / 2026-27

परिवाद योजित तिथि -15.06.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 23.07.2026

श्री प्रेमचन्द्र पुरोहित, देवहित इन्डस्ट्रीज मिनी औद्योगिक संस्थान कालेश्वर जयकण्डी कर्णप्रयाग.....परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

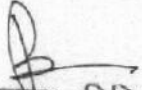
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

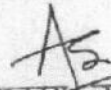
1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री प्रेमचन्द्र पुरोहित, देवहित इन्डस्ट्रीज मिनी औद्योगिक संस्थान कालेश्वर जयकण्डी कर्णप्रयाग, ने दिनांक 15.06.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि परिवादी का माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2025 में विद्युत मीटर खराब हो गया था, किन्तु विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को रुपये 3594/का विद्युत बिल दिया गया जो प्रार्थी की विद्युत आपूर्ति से अधिक है एवं जिसका भुगतान भी प्रार्थी द्वारा कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



Page | 2

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

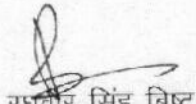
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 22.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी के संयोजन पर नया विद्युत मीटर स्थापित कर दिया गया है, तथा परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

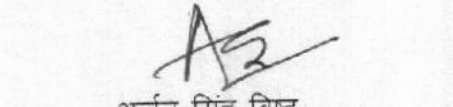
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 28/2026-27

परिवाद योजित तिथि -27.05.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 23.07.2026

श्री बृजमोहन सिंह, ग्राम-मानुर पो०-नारायणबगड़परिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

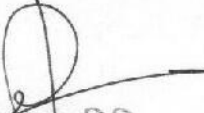
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

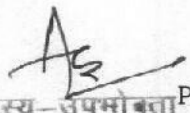
निर्णय

1. परिवाद विद्युत लोड के सन्दर्भ में है। श्री बृजमोहन सिंह, ग्राम-मानुर पो०-नारायणबगड़, ने दिनांक 27.05.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी का विद्युत भार बिना सूचना दिए 1 किलोवाट से 2 किलोवाट कर दिया गया है जबकि प्रार्थी की विद्युत खपत बहुत कम है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

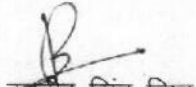
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई 05.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी विभाग द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री अजय बर्वाल विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी के स्वीकृत भार 2 किलोवाट को 1 किलोवाट में परिवर्तित कर दिया गया है। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, विपक्षी द्वारा परिवादी के परिवाद का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

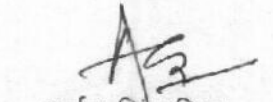
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 29/2026-27

परिवाद योजित तिथि -27.05.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 23.07.2026

श्री रणजीत सिंह, ग्राम-मानुर पो०-नारायणबगड़परिवादी।

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री अजय बर्तवाल विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

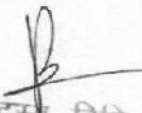
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत लोड के सन्दर्भ में है। श्री रणजीत सिंह, ग्राम-मानुर पो०-नारायणबगड़, ने दिनांक 27.05.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी का विद्युत भार बिना सूचना दिए 1 किलोवाट से 2 किलोवाट कर दिया गया है जबकि प्रार्थी की विद्युत खपत बहुत कम है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

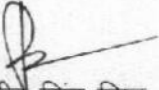
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई 05.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी विभाग द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री अजय बर्त्वाल विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी के स्वीकृत भार 2 किलोवाट को 1 किलोवाट में परिवर्तित कर दिया गया है। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया विपक्षी द्वारा परिवादी के परिवाद का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

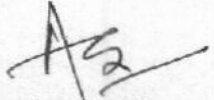

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 30/2026-27

परिवाद योजित तिथि -27.05.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 23.07.2026

श्री राकेश सिंह, ग्राम-मानुर पो०-नारायणबगड़परिवादी।

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री अजय बर्त्वाल विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

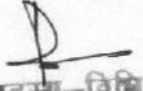
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत लोड के सन्दर्भ में है। श्री राकेश सिंह, ग्राम-मानुर पो०-नारायणबगड़, ने दिनांक 27.05.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी का विद्युत भार बिना सूचना दिए 1 किलोवाट से 2 किलोवाट कर दिया गया है जबकि प्रार्थी की विद्युत खपत बहुत कम है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

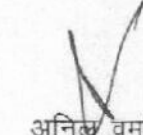
2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई 05.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी विभाग द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री अजय बर्त्वाल विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी के स्वीकृत भार 2 किलोवाट को 1 किलोवाट में परिवर्तित कर दिया गया है। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया विपक्षी द्वारा परिवादी के परिवाद का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

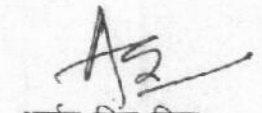
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 31/2026-27

परिवाद योजित तिथि -27.05.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 23.07.2026

श्री गिरीश कण्डवाल ग्राम-कण्डवालगॉव पो०-छैकडा नारायणबगडपरिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री अजय बर्तवाल विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

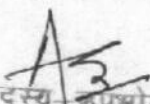
1. परिवाद विद्युत ट्रांसफार्मर के सन्दर्भ में है। श्री गिरीश कण्डवाल ग्राम-कण्डवालगॉव पो०-छैकडा नारायणबगड, ने दिनांक 27.05.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी के कण्डवाल गॉव में विद्युत ट्रांसफार्मर कम क्षमता का होने के कारण अ०जा० बस्ती एवं सहकारी सस्थाओं में बोल्टेज की परेशानी हो रही है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई 05.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी विभाग द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री अजय बर्त्वाल विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी की शिकायत के समाधान हेतु प्राक्कलन तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया हैं स्वीकृत मिलने पर शिकायत कर दिया जाएगा। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर विपक्षी विभाग के कथन को सही पाया गया।

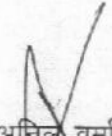
आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


राजिव सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

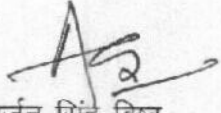
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 32/2026-27

परिवाद योजित तिथि -27.05.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-23.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 23.07.2026

श्री दलवीर सिंह ग्राम व पो०-चोपता नारायणबगड़परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री अजय बर्त्वाल विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

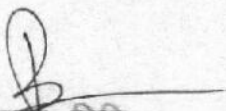
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

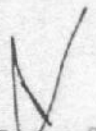
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत ट्रांसफार्मर के सन्दर्भ में है। श्री दलवीर सिंह ग्राम व पो०-चोपता नारायणबगड़, ने दिनांक 27.05.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी के गाँव चोपता में विद्युत ट्रांसफार्मर कम क्षमता का होने के कारण बोल्टेज की समस्या हो रही हैं जिससे बार-बार लाइट जाती है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

Page | 2

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई 05.08.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी विभाग द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री अजय बर्त्वाल विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी की शिकायत के समाधान हेतु प्राक्कलन तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया हैं स्वीकृत मिलने पर शिकायत कर दिया जाएगा। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर विपक्षी विभाग के कथन को सही पाया गया।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



रघुबीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

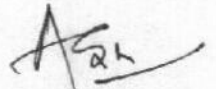
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



अचिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 13/2026-27

परिवाद योजित तिथि -20.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-24.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-24.07.2026

श्री सन्दीप सिंह, ग्राम-गुडम, पो०-मसोली,परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री सन्दीप सिंह, ग्राम-गुडम, पो०-मसोली, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 20.04.2026 को नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि परिवादी ने विभाग में नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया था किन्तु विभाग द्वारा अभी तक संयोजन नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।



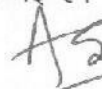
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

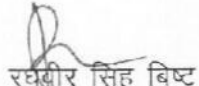
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर परिवादी की विस्तृत रिपोर्ट एवं जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 एवं दिनांक 18.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता को नया विद्युत संयोजन के लिए रु० 18100 का प्राक्लन बना है। उपभोक्ता द्वारा प्राक्लन धनराशि जमा करने के पश्चात् विभाग द्वारा नया संयोजन स्थापित कर दिया जायेगा।

आदेश

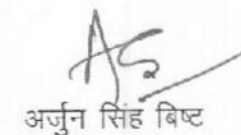
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुशीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL.

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 12/2026-27

परिवाद योजित तिथि -20.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-24.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-24.07.2026

श्री रविन्द्र सिंह, ग्राम-गुड़म, पो०-मसोली,परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री रविन्द्र सिंह, ग्राम-गुड़म, पो०-मसोली, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 20.04.2026 को नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि परिवादी ने विभाग में नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया था किन्तु विभाग द्वारा अभी तक संयोजन नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

Page | 2

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

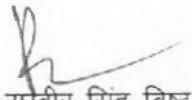
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

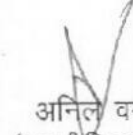
2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर परिवादी की विस्तृत रिपोर्ट एवं जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 एवं दिनांक 18.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता को नया विद्युत संयोजन के लिए रू० 13600.00 का प्राक्कलन बना है। उपभोक्ता द्वारा प्राक्कलन धनराशि जमा करने के पश्चात् विभाग द्वारा नया संयोजन स्थापित कर दिया जायेगा।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 10/2025-26

परिवाद योजित तिथि -20.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-24.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-24.07.2026

श्री सुनील कुमार, ग्राम-देवस्थान, पो०-पोखरी,परिवादी

बनाम

अधिकांशी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा -तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री सुनील कुमार, ग्राम-देवस्थान, पो०-पोखरी, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 20.04.2026 को नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि परिवादी ने विभाग में नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया था किन्तु विभाग द्वारा अभी तक संयोजन नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

Page | 2

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

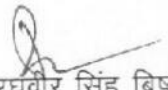
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर परिवादी की विस्तृत रिपोर्ट एवं जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 22.04.2026 को नया विद्युत संयोजन सं०-GP27104217438 लगा दिया गया है।

आदेश

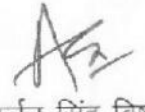
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 09/2025-26

वाद योजित तिथि -20.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-29.05.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-29.05.2026

श्री रमेश बर्वाल, ग्राम व पो०-पोखरी,परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री रमेश बर्वाल, ग्राम व पो०-पोखरी, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 20.04.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर परिवादी की विस्तृत रिपोर्ट एवं जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2028 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता के संयोजन पर चेक मीटर लगाया गया किन्तु चेक मीटर की रीडिंग एवं स्थापित मीटर की रीडिंग में कोई अन्तर नहीं पाया गया। विभाग द्वारा परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिल दिये गये हैं।

आदेश

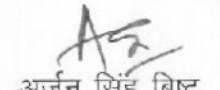
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। तदनुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 08/2026-27

वाद योजित तिथि -20.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-24.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-24.07.2026

श्रीमती शान्ति देवी, विशाल (विनायकधार) पो०-पोखरी,परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्रीमती शान्ति देवी, विशाल (विनायकधार) पो०-पोखरी, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 20.04.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।



सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



Page | 2

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर परिवादी की विस्तृत रिपोर्ट एवं जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 एवं दिनांक 18.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता के संयोजन पर दिनांक 20.04.2026 को चेक मीटर लगाया गया एवं दिनांक 05.06.2026 को फाइनल किया गया किन्तु दोनों मीटरों की खपत में कोई अन्तर नहीं पाया गया। विभाग द्वारा परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिल दिये गये हैं।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तदनुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 78 / 2025-26

वाद योजित तिथि -25.03.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-24.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-24.07.2026

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत ग्रा० व पो०-सोनला,.....परिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह रावत ग्रा० व पो०-सोनला, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 25.03.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी का मीटर खराब था विभाग द्वारा खराब मीटर को बदलकर नया मीटर लगाया गया किन्तु मीटर खराब होने के दौरान के विद्युत बिल अत्यधिक आये हैं जिसे विभाग द्वारा संशोधित नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

Page | 2

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026, के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा पत्रावली के निस्तारण हेतु परिवादी को साक्ष्य हेतु अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होना आदेशित किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 एवं 18.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली के निस्तारण हेतु परिवादी को साक्ष्य हेतु अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होना आदेशित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए। मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के विवादित विद्युत बिल रू० 26279.00 को संशोधित कर रू० 7045.00 दिया गया है, जिसे परिवादी द्वारा भुगतान किया जाना है।

आदेश

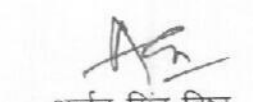
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अश्विल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 63/2025-26

वाद योजित तिथि -27.01.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-24.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-24.07.2026

श्री विजय कृष्ण, ग्राम-चमसिल, पो०-विशालखाल पोखरी,परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा -तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री विजय कृष्ण, ग्राम-चमसिल पो०-विशालखाल पोखरी, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 27.01.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी को एक माह का विद्युत बिल रु० 19995 दिया गया है। जो परिवादी की विद्युत आपूर्ति से अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।



सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



Page | 2

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर परिवादी का संशोधित बिल पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 एवं 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर परिवादी के परिवाद का जवाबदावा एवं विस्तृत रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 एवं दिनांक 18.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में परिवादी के परिवाद का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के विवादित विद्युत बिल रू० 21258.00 को संशोधित कर रू० 16732.00 दिया गया है, जिसे परिवादी द्वारा भुगतान किया जाना है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

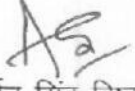
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अनिल वर्मा
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL